पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्बल पखवाड़ा
शिविर स्थल ग्राम पंचायत : 17 जीबी, दिनांक : 27.06.2025

फार्म नं.– III

फर्द अहकाम

(नियम–26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम श्रीविजयनगर

राम सिंह **बनाम** सरकार

अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम नम्बर ......90 सन् 2025

जी.सी.एम.एस. आईडी :2025/158.........

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किये गये
27.06.2025	प्रार्थी राम सिंह के द्वारा पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्बल पखवाड़ा के अन्तर्गत शिविर ग्राम पंचायत 17 जीबी में आवेदन पेश कर राजस्व रिकार्ड जमाबंदी चक 18 जीबी खाता सं. 51 में दर्ज प्रार्थी के नाम से चार बार भूमि दर्ज को दुरूस्त कर एक जगह दर्ज करने हेतु निवेदन करने पर उप तहसीलदार जैतसर को जांच हेतु प्रेषित किया गया। उपतहसीलदार जैतसर के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर राजस्व रिकार्ड में शुद्धि किये जाने की अनुशंषा की गई है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। पत्रावली का अवलोकन किया। रिपोर्ट उपतहसीलदार जैतसर, भू.अ.नि. व पटवारी के अनुसार भूमि प्रार्थी को पंजीबद्ध दस्तावेजों के ऑटो नामान्तरण व विरास्त आधार पर भूमि प्राप्त हुई है जिसका राजस्व रिकार्ड में एक ही व्यक्ति प्रार्थी के नाम से पृथक पृथक चार बार अंकन हो गया है। उप तहसीलदार जैतसर की अनुशंषा के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार कर राजस्व रिकार्ड चक 18 जीबी के खाता सं. 51 में प्रार्थी राम सिंह के नाम से क्र.सं. 15 से 18 पर दर्ज प्रविष्ठियों को दुरूस्त कर विलोपित करते हुए प्रार्थी के नाम से दर्ज समस्त हिस्सा की भूमि की एकल प्रविष्ठि प्रार्थी के नाम से दर्ज करने के आदेश दिए जाते है। प्रार्थी के हिस्सा की भूमि पर राहिन का अंकन यथावत दर्ज रखा जावे। शेष अंकन यथावत रहेगा। आदेश की तहरीर पृथक से जारी हो। निर्णय मजमा–ए–आम में सुनाया गया। पत्रावली फैंसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। Signature Not Verified Digitally signed by Shakuntala Date: 2025.08.20 11:44:22 IST Reason: SelfAttested शकुन्तला उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर	

उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर